(86) 183

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

C.S 6412005

क्रमांक : 7782-83 दिनांक 12/9/11

आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आने वाले प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका को उसकी आयु -अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिका के द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन करने पर उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उसके लिए समुचित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। इन बालक-बालिकाओं की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर लगाये गये विशेष शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में जाकर अपेक्षित तकनीकी संबलन प्रदान किया जायेगा। यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऑटिज्म से ग्रस्त बालक-बालिकाओं को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जावे।

08/09/2011
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

कार्यालय निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./3515/वो-3/11-12/104 दिनांकः- 21.09.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. ~~निदेशक~~ माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय, बीकानेर।
4. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा(प्रथम/द्वितीय)।

संयुक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

E:\RTE\RTE.doc